भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 334
(19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

334. श्री धर्मवीर सिंहः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इस सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है;

(ख) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण भारत के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और सरकार द्वारा गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों को पक्का मकान देने, निकटतम सुविधाओं या बाजारों तक पहुंचने के लिए बारहमासी सड़क, रोजगार के अवसर, वृद्धजनों, विधवाओं और शारीरिक रूप से नि-शक्तजनों को पेंशन प्रदान करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कौशल हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इस संबंध में , ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) , प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता

कार्यक्रम (एनएसएपी), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)। इन योजनाओं को पक्के घर प्रदान करने, बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने, आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने, न्यूनतम गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार प्रदान करने, स्व-रोजगार को बढावा देने, विभिन्न उपयोगी व्यवसायों तथा उद्यमि ता गुणों में ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने, आधारभूत संरचना के विकास तथा सामाजिक सहायता का प्रावधान करने जैसी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अन्य मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना , प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना , प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना , प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान , प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना , पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि का कार्यान्वयन कर रही है।

ये योजनाएं/कार्यक्रम ग्रामीण-शहरी अंतर दूर करने , गांवों में आत्मनिर्भरता प्रदान करने और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के उद्देश्य की दिशा में कार्य करती हैं।

(ग): सरकार बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण लोगों के लिए आवास, सम्पर्कता, रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह मंत्रालय पीएमएवाई-जी कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। लाभार्थियों को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए इस योजना का उद्देश्य परिवारों को बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के उद्देश्य से अन्य पहलों से प्राप्त लाभों को संयोजित करना है। पीएमएवाई-जी को शौचालयों के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के साथ जोड़ा गया है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत अन्य सुविधाओं जैसे नल से जलापूर्ति , बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन आदि के अभिसरण के लिए भी एक साथ प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्रियों की कम उपलब्धता के मुद्दे के हल के लिए पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण मेसन प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। आरएमटी कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकान अच्छी गुणवत्ता के हैं। यह न केवल यह सुनिश्चित करता है कि पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकान अच्छी गुणवत्ता के हैं , बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आजीविका के अवसर भी मिलें।

यह मंत्रालय पीएमजीएसवाई का भी कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन की दिशा में शुरू किया गया था , जिसमें ग्रामीण आबादी को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें प्रदान करके, ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बसावटों को जोड़कर बुनियादी सेवाएं प्रदान की गई थीं। मनरेगा योजना में संपर्क रहित गांवों में बारहमासी ग्रामीण सड़कों का निर्माण और पहचाने गए ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को मौजूदा पक्की सड़क नेटवर्क से जोड़ने और गांव में पक्की आंतरिक सड़कों के निर्माण के लिए कार्य करने का भी प्रावधान है।

वर्ष 2013 में, पीएमजीएसवाई-।। को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 50,000 किमी सडक के उन्नयन के लक्ष्य के साथ चुनिंदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों (एमआरएल) के उन्नयन के लिए शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने 2019 में पीएमजीएसवाई-।।। कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, जो मुख्य रूप से मौजूदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के समेकन पर केंद्रित है जो ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम) , उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से बसावटों को जोड़ते हैं और इसका लक्ष्य 1,25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है।

रोजगार के अवसर सृजित करने और ग्रामीण लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए, यह मंत्रालय मनरेगा, डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई नामक कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। जहां मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल कामगारों को गारंटीकृत रोजगार सुनिश्चित करती है वहीं डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई योजनाएं या तो मजदूरी अथवा स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देती हैं जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित करने और मूल्य श्रृंखला विकास कार्यकलापों को शुरू करने के अलावा ऋण , प्रमुख आजीविका कौशल पर उन्मुखीकरण और सलाहकार सहायता के प्रावधानों के माध्यम से उनके लिए अतिरिक्त आजीविका के अवसर सृजित करने के लिए भी काम कर रहा है। एनआरएलएम के लक्षित समूहों में न्यूनतम एक वंचन मानदंड वाले , एसईसीसी डेटा से स्वचालित रूप से शामिल परिवार और भागीदारी पहचान प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने गए और ग्राम सभा द्वारा

जांचे गए परिवार शामिल हैं। इसके अलावा, कौशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं सहित देश भर के युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी नियोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि आरपीएल नियोजन से अनिवार्य रूप से नहीं जुडा हुआ है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को पहचानता है। इसी प्रकार , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को कार्यान्वित कर रहा है, जो एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यम की स्थापना करते हुए स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।

वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन प्रदान करने की दृष्टि से यह मंत्रालय एनएसएपी कार्यान्वित कर रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा/सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जो वरिष्ठ नागरिकों , विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और प्राथमिक जीविकापोर्जक की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवारों के लिए है। एनएसएपी के अंतर्गत तीन पेंशन योजनाएं जैसे i)इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) और iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के व्यक्तियों के लिए कार्यान्वित की जाती हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के प्राथमिक जीविकापोर्जक की मृत्यु पर वित्तीय सहायता का प्रावधान करती है।

एनएसएपी के तहत, 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं और 18 से 79 वर्ष के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह 300/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धों को प्रति माह 2 00/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 80 वर्ष की आयु होने पर इन लाभार्थियों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया जाता है। परिवार के प्राथमिक जीविकापोर्जक की मृत्यु पर शोक संतप्त बीपीएल परिवार को 20,000/- रुपये की एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है।

****